

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 425]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013—भाद्र 22, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

घोषणा
(नियम-6)

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. एफ-21-12-2013-एक-10.—यतः, यह अभिकथित किया गया है कि श्री छोटे खां, लेखापाल, महिला एवं बाल विकास विभाग, सोडवा, जिला अलीराजपुर ताराचंद्र पाटीदार, मंडी सचिव, अंजड़, जिला बड़वानी का पद धारण करते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1) ई, 13(2) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 85/2011 धारा 13(1) ई., 13(2) भ.नि.अ. 1988 सन् 2011-12 को मामलों का अन्वेषण किया गया है;

और, यतः; अभिलेख में उपलब्ध सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री छोटे खां पर जिसने भ्रष्ट साधनों का सहरा लेकर अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्ट्या प्रकरण बनता है;

और, यतः; राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया है कि उक्त अपराधी पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;

अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.

स्थान : भोपाल

तारीख 13 सितम्बर 2013

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुरेश, प्रमुख सचिव.